संख्या-133/2017/1855/22-2-2016-17(103)/2016

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ: दिनांक 07 मार्च, 2017**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम, निवासी जनपद-फिरोजाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-34860/प्रोबेशन-3(एम-06-09-2016) दिनांक-26-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र दिनांक 26-09-2016 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम, निवासी ग्राम-कोहला, थाना-दक्षिण, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.02.1975 को अपरान्ह लगभग 04:30 बजे लाठी, डण्ड, लोहे की छड से मारकर धर्मपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-130/1975 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,147, के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दिनांक 02.12.1978 को दोषमुक्त किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से योजित क्रिमिनल अपील संख्या-1068/1979 के अन्तर्गत् मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 01.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी की उम्र-54 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2016 तक 13 वर्ष 09 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 04 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 दयायाचिका के आधार पर रिहा 01 की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार बन्दी द्वारा 302 भा.द.वि. का जघन्य अपराध कारित किया है तथा मान्नीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराने जाने पर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर है, जो समाज को व्यापक रूप प्रभावित किये बिना अपराधों की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के अनुसार बन्दी सरजन धारा 302 आई.पी.सी के अन्तर्गत गम्भीर अपराध कारित किया है। जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना अपराधों की श्रेणी मे आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा, लोहे की छड से मारकर धर्मपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी सरजन सिंह (बन्दी संख्या-8019) पुत्र श्री राजाराम, निवासी जनपद-फिरोजाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-133/2017/1855(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-फिरोजाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-133/2017/1855@22-2-2016-17(103)/2016

दिनांक 07 मार्च, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम, निवासी ग्राम-कोटला, थाना-दक्षिण, जनपद-फिरोजाबाद का रहने वाला है। पुरानी रंजिश के कारण बन्दी ने 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 20.02.1975 को अपरान्ह लगभग 04:30 बजे लाठी, डण्ड, लोहे की छड से मारकर धर्मपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-130/1975 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/149,147, के अन्तर्गत मा0 तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, आगरा द्वारा दिनांक 02.12.1978 को दोषमुक्त किया गया। उक्त निर्णय के विरूद्ध सरकार की ओर से योजित क्रिमिनल अपील संख्या-1068/1979 के अन्तर्गत् मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने अपने आदेश दिनांक 01.10.1997 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिसे मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18.07.2002 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी की उम्र-54 वर्ष है। बन्दी द्वारा दिनांक 02.09.2016 तक 13 वर्ष 09 माह 18 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 04 माह 24 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण अच्छा है। बन्दी के 03 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है, 01 दयायाचिका के आधार पर रिहा 01 की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार बन्दी द्वारा 302 भा.द.वि. का जघन्य अपराध कारित किया है तथा मान्नीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराने जाने पर आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी के अनुसार बन्दी द्वारा कारित अपराध गम्भीर है, जो समाज को व्यापक रूप प्रभावित किये बिना अपराधों की श्रेणी में आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद के अनुसार बन्दी सरजन धारा 302 आई.पी.सी के अन्तर्गत गम्भीर अपराध कारित किया है। जो समाज को व्यापक रूप से प्रभावित किये बिना अपराधों की श्रेणी मे आता है, बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना प्रतीत होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने एवं बन्दी के परिवार की सामाजिक व आर्थिक स्थिति समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त न होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने अपने अभिमत में अंकित किया है कि बन्दी ने सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा, लोहे की छड से मारकर धर्मपाल नामक व्यक्ति की हत्या कर जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत सन्देश जायेगा। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी सरजन सिंह पुत्र श्री राजाराम को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in